18.03.25

पक्षकारों के द्वारा दी गई दलील वाही एवं हानि न की। विधिवत आवाजें लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं आने से प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पक्षावली निर्णित होकर संख्या से दूर हो।

निर्णय सुनाया गया।